न्यायालय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – **अंकित सिंघल (आर.जे.एस)**
रे.फौ. प्रकरण संख्या – 264/2022 (CIS No. 264/2022)
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या – 20/2022 (पुलिस थाना–धमोतर)

राजस्थान राज्य बनाम हरीश

अपराध अंतर्गत धारा 498ए भारतीय दण्ड संहिता

भाग–प्रथम

A

परिवादी	श्रीमती पूजा पत्नी हरीश पुत्री देवीलाल, उम्र–22 वर्ष, निवासी–प्रतापगढ, पुलिस थाना–प्रतापगढ, जिला–प्रतापगढ़
प्रस्तुतकर्ता	राजस्थान राज्य जरिये अभियोजन अधिकारी
अभियुक्त का नाम व पता	**हरीश पिता बाबुलाल**, उम्र–23 वर्ष, निवासी–चोकडी, पुलिस थाना–धमोतर, जिला–प्रतापगढ़ (राज.)
अधिवक्ता अभियुक्त	श्री बलवंत सिंह बंजारा व इन्दर सिंह पंवार, अभियुक्त की ओर से
अभियोजन अधिकारी	श्री नारायणलाल बरोठ
अधिवक्ता परिवादी	–

B

अपराध की दिनांक	––
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	08.02.2022
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	08.03.2022
आरोप विरचित किये जाने की दिनांक	08.03.2022
साक्ष्य प्रारम्भ करने की दिनांक	29.04.2022
साक्ष्य अभियोजन समाप्त किये जाने की दिनांक	10.12.2025
बयान मुल्ज़िम लेखबद्ध किये जाने की दिनांक	06.01.2026
बहस अंतिम की दिनांक	12.03.2026
निर्णय आरक्षित किये जाने की दिनांक	––
निर्णय दिनांक	12.03.2026

भाग – द्वितीय

अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाहान् की सूची

अ–अभियोजन गवाह (PW)

रैंक	**नाम**	**साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, फर्द दस्तयाब, फर्द जब्ती, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, अन्य गवाह)**
PW 1.	पूजा	एफ.आई.आर. कर्ता साक्षी
PW 2.	देवीलाल	वाकियाती साक्षी
PW 3.	उदयराम	वाकियाती साक्षी

PW 4.	हजारीलाल उर्फ़ हरलाल पुत्र धन्नालाल	वाकियाती साक्षी
PW 5.	राधेश्याम	वाकियाती साक्षी
PW 6.	हजारीलाल पुत्र बिहारी लाल	वाकियाती साक्षी
PW 7.	गोपाल	वाकियाती साक्षी
PW 8.	मुंशी मोहम्मद	अनुसंधान अधिकारी

ब–बचाव गवाह

रैंक	**नाम**	**साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, फर्द दस्तयाब, फर्द जब्ती, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, अन्य गवाह)**
––	––	––

स–न्यायालय गवाह

रैंक	**नाम**	**साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, फर्द दस्तयाब, फर्द जब्ती, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, अन्य गवाह)**
––	––	––

अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श

अ–अभियोजन प्रदर्श

क्र.सं.	**प्रदर्श नम्बर**	**विवरण**
01	प्रदर्श पी– 1	रिपोर्ट
02	प्रदर्श पी– 2	चाक एफ.आई.आर.
03	प्रदर्श पी– 3	अभियुक्त द्वारा दुसरी शादी किये जाने के संबंध में रिपोर्ट
04	प्रदर्श पी– 4	मेडिकल नहीं कराने बाबत प्रार्थिया की रिपोर्ट
05	प्रदर्श पी– 5	चार्जशीट

ब–बचाव प्रदर्श

क्र.सं.	**प्रदर्श नम्बर**	**विवरण**
01	प्रदर्श डी– 1	फोटो
02	प्रदर्श डी– 2	अभियुक्त के द्वारा परिवादिया के विरुद्ध दी गयी रिपोर्ट

स–न्यायालय प्रदर्श

क्र.सं.	**प्रदर्श नम्बर**	**विवरण**
––	––	––

द–भौतिक वस्तुएं

क्र.सं.	**भौतिक वस्तु नम्बर**	**विवरण**
––	–– ––	––

निर्णय **दिनांक – 12.03.2026**

01– हस्तगत प्रकरण का उद्भव पुलिस थाना धमोतर द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध धारा 498 ए भारतीय दण्ड संहिता के अपराधों में आरोप पत्र दिनांक 08.03.2022 को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने पर हुआ।

02– संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं, कि प्रार्थिया पूजा ने चोकडी थाना धमोतर में उपस्थित हो एक लिखित रिपोर्ट दिनांक 08.02.2022 को इस आशय की पेश की कि उसका विवाह जाति रिवाज अनुसार हरीश के साथ हुआ था। दो साल वह अपने पति हरीश के साथ रही थी। उसकी शादी के कुछ माह तक उसे अच्छा रखा उसके बाद साल भर से उसके बच्चे–बच्ची और दहेज के लिये परेशान करने लगे। आये दिन शराब पीकर मारपीट करता। उसने यह बात सास नंदु व ससुर बाबुलाल को बताई तो उसके सास ससुर भी उसके उल्टा मारपीट कर डाटने लगे कि तु काम नहीं करती है व पढाई छोड दे तेरे तो बच्चे नहीं हो रहे हैं। उसने पढाई छोडने के लिये मना किया तो उसके पति, सास व ससुर के उसके पिता देवीलाल से दहेज लेकर आने को कहा। उसके बाद यह बात अपने माता–पिता को फोन से बताई तो माता–पिता ने उसे समझाया जिसके बाद ससुराल में पति के साथ रही। उसके पति, सास व ससुर द्वारा उसके पिता जी के यहां से दहेज नहीं लाने की बात को लेकर उसे मकान के नीचे गिराने लगे व मारपीट की। पैसे लेने के लिये उसे घर से निकाल दिया है, तो वह अपने माता–पिता के घर गांव ढाबला चली गई। यह बात उसने उसके माता–पिता व परिवार के सदस्य को बताई। तब से वह अपने माता–पिता के यहां रह रही है। दिनांक 06.02.2022 को रिश्तेदार बिहारी उज्जैन वाले ने फोन कर बताया कि उसका पति उज्जैन में रह रही दायमा से दिनांक 10.02.2022 को शादी कर रहा है जो गैरकानूनी है है उसके पति की शादी रूकवाई जाये...आदि–आदि।

03– उक्त परिवाद को धारा 156(3) द.प्र.सं. के तहत पुलिस थाना धमोतर को प्रकरण दर्ज व अनुसंधान हेतु प्रेषित किया, जिसके आधार पर पुलिस थाना धमोतर पर प्रकरण संख्या 20/2022 अपराध अन्तर्गत धारा 323, 498 ए भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया एवं बाद सम्पूर्ण अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध धारा 498 ए भारतीय दण्ड संहिता में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया जिस पर अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया गया एवं प्रकरण नियमित फौजदारी दर्ज रजिस्टर किया गया ।

04– अभियुक्त को धारा 498 ए भारतीय दण्ड संहिता के अपराध की विशिष्ठियां पृथक से विरचित कर सुनायी व समझायी गयी तो अभियुक्त ने सुन समझकर आरोप से इंकार किया और अन्वीक्षा चाही।

05– साक्ष्य अभियोजन में परीक्षित गवाहान् की सूची एवं प्रदर्शित दस्तावेजों का विवरण उपर्युक्तानुसार भाग–द्वितीय की तालिका में अंकित किया गया है।

06– अभियुक्त के बयान मुल्जिम अंतर्गत धारा 351 BNSS लेखबद्ध किये गये जिसमें अभियुक्त ने गवाहान द्वारा झूठे कथन करना और स्वयं को निर्दोष होना बताकर प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश करना नहीं चाहा।

07– बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी का यह तर्क रहा है कि अभिलेख पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित है। अत: अभियुक्त को दोषसिद्ध किये जाने का निवेदन किया गया।

दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क है, कि अभियुक्त पूर्ण रूप से निर्दोष हैं। उसे झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त को पुलिस थाना धमोतर ने गलत तथ्यों के आधार पर इस प्रकरण में अभियुक्त बनाया है। अभियुक्त के द्वारा कभी भी परिवादिया को पढाई करने से नहीं रोका गया है और कभी भी उसके साथ कोई मारपीट नहीं की है और दोनों पति पत्नी के मध्य पवन नाम के लडके को लेकर विवाद है। जिस कारण परिवादिया ने यह रिपोर्ट दी है। परिवादीया व गवाहान् की ओर से दिये गये बयानों में परस्पर विरोधाभास हैं। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षीगण परस्पर हितबद्ध साक्षी है, जिनकी साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, ऐसी स्थिति में अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध घोषित नहीं किया जा सकता है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध से दोषमुक्त करार दिया

जावे।

08– पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न इस प्रकार है, कि–

01– क्या अभियुक्त ने अपनी विवाहिता पत्नी परिवादीया श्रीमती पूजा के साथ विवाह के पश्चात् परिवाद प्रस्तुत करने की अवधि के मध्य भिन्न–भिन्न समय पर सरहद मौजा ग्राम चोकडी में दहेज में रूपयों की माँग को लेकर परिवादिया को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उसके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया ?

02– यदि अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध साबित पाया जाता है, तो अभियुक्त किस दण्ड का भागीदार होगा?

09– उपर्युक्त विचारणीय बिन्दु को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 8 गवाहान् को परीक्षित करवाया गया है। हस्तगत प्रकरण परिवादिया पूजा के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 पर संस्थित हुआ है। उक्त परिवाद में वर्णित तथ्यों पुष्टि करने हेतु अभियोजन पक्ष की ओर से **परिवादिया पूजा को पी.डब्ल्यु–1** के रूप में परीक्षित करवाया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि उसकी शादी करीब पांच साल पहले जाति रिवाज के अनुसार हरीश के साथ हुई थी। शादी के बाद वह ससुराल आती–जाती रही थी। शादी के कुछ समय तक उसे, उसके पति ने अच्छे से रखा था। शादी के एक साल बाद उसका पति हरीश शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता था तथा उसे पढाई करने से रोकता था तथा कहता था कि तेरे बाप के घर से दहेज में रूपये लेकर आ। यह बात उसने अपने सास–ससुर को बताई तो उसे डाटते थे और कहते थे कि तु कोई काम वगैरा नहीं करती है और तेरे कोई बच्चा भी नहीं हो रहा है। फिर घटना की पूरी जानकारी उसने अपने माता–पिता को दी तो उन्होंने उसके पति हरीश को समझाया फिर भी वह नहीं माना। उसका पति हरीश उसे कहता था कि उसके बाप के घर से दहेज में रूपये लेकर आ, कहते हुए उसके साथ मारपीट करता था। हरीश ने दुसरी शादी सपना पिता गोपाल निवासी उज्जैन से कर ली। जिसकी रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 उसने पेश की थी, जिसकी चाक एफआईआर प्रदर्श पी 02 है, उसने पुलिस को रिपोर्ट प्रदर्श पी 03 पेश की थी जिन सभी पर उसके हस्ताक्षर है।

प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कथन किया कि उसका अभी नर्सिंग कोर्स मे तीसरा साल चल रहा है। वह ससुराल से करीबन एक साल पहले आई थी। यह कहना सही है कि वह जिस दिन उसके घर पर आई थी उस दिन उसका देवर चेतन अपनी मोटरसाईकिल पर बिठा कर उसे नर्सिंग कॉलेज मंदसौर लेकर आया था। उस दिन उसकी परीक्षा थी। परीक्षा देने के बाद वह अपने पिता के घर चली गई थी। यह कहना सही है कि नर्सिंग कोर्स के प्रथम व द्वितीय वर्ष नर्सिंग की परीक्षा उसने अपने ससुराल से रहकर दी थी। यह कहना सही है कि उसके संतान नहीं होने की समस्या का ईलाज 5–6 महिने मंदसौर से कराया था। यह कहना सही है कि उसके ससुराल में रहने के दौरान हरीश द्वारा उसके साथ मारपीट करने की उसने थाने में कोई रिपोर्ट नहीं दी थी। यह कहना सही है कि उसके ससुराल के मकान के आस पास और भी लोगो के मकानात है। फोटो प्रदर्श डी 01 में उसका फोटो है और साथ में पवन उसका भाई है। पवन के पिता नाम उसे मालूम नहीं है। पवन पित्थायाखेडी का निवासी है, पुलिस थाना नाहरगढ लगता है। यह कहना सही है कि उन दोनों का फोटो पवन ने खिंचकर उसके पति हरीश के मोबाईल पर व्हाट्स एप किया था। उस फोटो को लेकर उसके पति हरीश व पवन के बीच में काफी लडाई–झगडा हुआ था। यह कहना सही है कि उसके परिवार व ससुराल पक्ष वालों में भी उस फोटो को लेकर काफी विवाद हुआ था। इसी कारण उसे इन लोगों ने हरीश की पत्नी के रूप में रखने से मना कर दिया था। यह कहना सही है कि मुख्य विवाद की जड़ पवन के द्वारा खिंची गई फोटो है। इसी कारण हरीश ने दुसरी शादी कर ली। यह कहना सही है कि न्यायालय पत्रावली में ऐसे कोई दस्तावेज नहीं किये थे जिसे यह साबित हो सके कि हरीश ने दुसरी शादी कर ली है। फिर पत्रावली देख कर कहा कि गवाह ने बताया कि शादी की पत्रिका की फोटोप्रति पत्रावली पर मौजूद है। यह कहना सही है कि उसके पति ने उसके खिलाफ पुलिस थाना धमोतर मे रिपोर्ट प्रदर्श डी 02 दी थी। यह कहना गलत है कि उनकी जिंदगी इस फोटो की वजह से खराब हुई हो।

10– इसी क्रम में परिवादिया के **पिता प्रकाश** को अभियोजन की ओर से **पी.ड.** 2 के रूप में परीक्षित करवाया गया है, जिन्होंने अपने बयानों में कथन किया कि पूजा उनकी पुत्री है, जिसकी शादी अभियुक्त

हरीश के साथ जाति रिवाज के अनुसार चार साल पहले करवाई थी। शादी के बाद उनकी पुत्री ससुराल में आती–जाती रही थी। फिर उसके बाद हरीश ने पूजा के साथ मारपीट करके उसको घर से निकाल दिया था। हरीश पूजा को पढाई नहीं करने देता था। हरीश दहेज में रूपये मांगता था। दहेज की मांग को लेकर हरीश उसके साथ मारपीट करता था यह बात पूजा ने उसे बताई थी। पूजा अभी उसके पिता के घर पर रह रही है।

प्रतिपरीक्षण में गवाहान् ने कथन किया कि उसके दो पुत्री और एक पुत्र है। उसने उसके लडके की शादी में दहेज नहीं मांगा था। उनके समाज में दहेज प्रथा है। उसकी लडकी की शादी के समय उसके ससुराल वालों ने किसी भी प्रकार की दहेज की मांग नहीं की थी। उसकी लडकी ससुराल में डेढ दो साल तक रही। उसकी लडकी ससुराल में रहते हुए नर्सिंग की पढाई की व उससे ससुराल वालों ने कहा का कि पढाई का संपूर्ण खर्चा वो देंगे, अजखुद कहा कि लेकिन उसके ससुराल वालों ने पढाई का कोई भी खर्चा वहन नहीं किया था। उसकी बच्ची की सालान नर्सिंग फिस 70,000 /–रु है। फिस उसके ससुराल वालों ने जमा नहीं कराई थी। एडमिशन के समय 15 हजार रूपये जमा करवाये थे और 10 हजार एक और बार जमा कराये थे। बाकी सालाना फिस जमा उसने कराई थी। कॉलेज में जो फिस जमा हुई उसकी रसीद कोर्ट में पेश नहीं की थी। यह कहना सही है कि उसके पास पैसे जमा की रसीद होती तो वह कोर्ट में पेश करता। दो साल तक उसकी लडकी ससुराल में रही लेकिन 6 माह के बाद दहेज की मांग करने लग गये। वह बीएससी तक पढा लिखा है। यह कहना सही है कि जैसे ही दहेज की मांग करने लगे तो उन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं की थी, वे उस समय समझा रहे थे इसिलये रिपोर्ट नहीं की थी। उसने अपने दामाद हरीश, उसके पिता बाबुलाल को फोन करके समझाईश करने की कोशिश की थी। जिससे वह कुछ समय तक मान गये थे लेकिन फिर बाद में फिर से विवाद करने लगे। उसकी पुत्री को संतान नहीं होने की वजह से उसके साथ मरपीट करके उसको घर से बाहर निकाल दिया। उसकी पुत्री को उसके पास रहते हुए एक साल का समय हो गया। प्रदर्श डी 01 फोटो में उसकी पुत्री के साथ रमेश है, जिसको वह पहचानता है। रमेश कभी भी उसके घर पर नहीं आया था। यह कहना गलत है कि उसकी लडकी का फोटो वायरल होने से यह विवाद हुआ हो। यह कहना गलत है कि उसकी लडकी के साथ में जो लडका है वह उससे प्रेम करती हो। यह कहना सही है कि फोटो में जो लडका है वह रमेश नहीं व रमेश का लडका पवन है। यह कहना गलत है कि प्रदर्श डी 02 रिपोर्ट दिनांक 07.02.2022 को उसकी लडकी व पवन के खिलाफ दी थी। यह कहना गलत है कि इससे बचने के लिये उन्होंने झुठा दहेज का मुकदमा दर्ज काराया हो। यह कहना सही है कि हरीश की दुसरी शादी का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया था। यह कहना सही है कि हरीश की दुसरी शादी की पत्रिका की फोटोप्रति पेश की है इसके अलावा उसकी दुसरी शादी का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। यह कहना गलत है कि हरीश ने दुसरी शादी नहीं की हो और उसकी लडकी का अन्य लडके के साथ अवैध संबंध होने से वह नहीं जाना चाहती हो। यह कहना गलत है कि कई बार समजा की पंचायती हुई हो और बुलाने पर भी वह नहीं गया हो। यह कहना गलत है कि उसकी पुत्री के साथ हरीश ने कभी भी दहेज की मांग नहीं की हो व नर्सिंग कोर्स की पूरी फिस हरीश के परिवार वालों ने जमा कराई हो व संतान नहीं होने का ईलाज भी हरीश के परिवार वालो के द्वारा करवाया गया हो।

11– इसी क्रम में गवाह **पी.ड. 03 उदयराम, पी.ड. 04 हजारीलाल उर्फ़ हरलाल व पी.ड. 05 राधेश्याम** ने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि पूजा उनकी भतीजी है जिसकी शादी हरीश के साथ पांच साल हपले जाति रीति रिवाज के अनुसार करवाई थी। शादी के बाद वह ससुराल में आती जाती रहती थी। ससुराल में पूजा दो साल तक रही थी। फिर उसके बाद हरीश ने पूजा के साथ मारपीट करके उसको घर से निकाल दिया था। हरीश पूजा को पढाई नहीं करने देता था। हरीश दहेज में रूपये की मांग करता था। दहेज की मांग को लेकर हरीश ने पूजा के साथ मारपीट की थी यह बात पूजा ने उसे बताई थी। हरीश को समझाने का प्रयास भी किया था परंतु वह नहीं माना था। हरीश ने दुसरी शादी उज्जैन में करी ली थी। पूजा अभी अपने पिता के घर पर रह रही है।

प्रतिपरीक्षण में गवाह उदयराम ने कथन किया कि उसके दो लडके व एक लडकी है। उसके बच्चों की शादी हो गई है। उसने अपने बच्चों की शादी में दहेज नहीं मांगा था। यह कहना सही है कि बंजारा समाज में दहेज की प्रथा नहीं है। यह कहना सही है कि उनके समाज में लडके वाले लडकी वाले को रकुमात आदि देते है। यह कहना सही है कि पूजा और उसके ससुराल वाले के बीच में पढाई

को लेकर विवाद था। पूजा के ससुराल वाले उसको पढाई नहीं करवाकर कृषि कार्य कराना चाहते हैं। उसे यह पता नहीं कि पूजा फितीयाखेडी में शादी समारोह में गई हो और वहां पर पवन पिता रमेश नाम के लडके के साथ अश्लील फोटो खिंचे हो। इसी कारण दोनो पति पत्नी के बीच में मन–मुटाव हुआ हो। यह कहना सही है कि पूजा उसकी भतीजी लगती है इसलिये वह बयान दे रहा है। यह कहना गलत है कि पूजा उसकी भतीजी लगती है इसलिये झुठे बयान दे रहा हो।

प्रतिपरीक्षण में गवाह हजारीलाल ने यह कथन किया है कि वह और उसका भाई दोनों अलग निवास करते हैं। पूजा की शादी हरीश से की थी। पूजा शादी के बाद अपने ससुराल में रही थी। यह कहना सही है कि पूजा के साथ उसके सामने कोई मारपीट हरीश ने नहीं की थी। हरीश कितना पढा लिखा है यह उसे पता नहीं है। पूजा ज्यादा पढी लिखी है वो नर्सिंग कर रही है।

प्रतिपरीक्षण में गवाह राधेश्याम ने यह कथन किया है कि वह शादीशुदा है व उसके दो बच्चे और एक लडकी हे। यह कहना सही है कि उनके समाज में दहेज प्रथा नहीं है। यह कहना गलत है कि उनके समाज में लडके वाले लडकी वालों को रकुमात व पैसे नहीं चढाते है। यह कहना सही है कि पूजा और हरीश के बीच पढाई को लेकर विवाद है। यह कहना सही है कि उनके सामने पूजा के सथ हरीश ने कभी भी मारपीट नहीं की थी। यह कहना सही है कि पूजा उसकी भतीजी लगती है इसलिये वह बयान देने आया है। यह कहना गलत है कि पूजा के अश्लील फोटो वायरल हो गये हो इसलिये उसके साथ मारपीट करता हो।

12– इसी क्रम में **गवाह पी.ड.6 हजारीलाल पुत्र बिहारीलाल व पी.ड. 07 गोपाल** ने मुख्य परीक्षा में बताया कि वे पूजा और हरीश को जानते हैं जो उनके गांव के ही है। इनकी शादी करीब पांच साल पहले हुई थी। शादी के बाद दोनों साथ साथ रहते थे। पूजा हरीश के साथ झगडा करती रहती थी। पूजा हरीश को उलट सीधा बोलती रहती थी।

उपर्युक्त साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में गवाह को स्वयं अभियोजन के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित किया गया। दौराने प्रतिपरीक्षण द्वारा अभियोजन अधिकारी गवाह ने पुलिस बयान प्रदर्श पी–4 व पी–05 के ए से बी भाग पुलिस को लिखाये जाने से इंकार किया और इस सुझाव को अस्वीकार किया कि हरीश ने पूजा के साथ दहेज में रूपयों की मांग को लेकर उसके साथ मारपीट की हो।

13– अंत में प्रकरण के **अनुसंधानकर्ता गवाह पी.ड. 8 मुंशी मोहम्मद** के बयानों का अवलोकन करें तो उक्त गवाह ने मुख्य परीक्षा में बताया कि वह दिनांक 08.02.2022 को थाना धमोत्तर में थानाधिकारी के पद पर तैनात था। उक्त दिनांक को प्रार्थिया पूजा द्वारा पेश रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 पर उसके द्वारा प्रकरण संख्या 20/2022 धारा 498ए, 323 आईपीसी में दर्ज कर उसके द्वारा अनुसंधान किया गया, चाक एफआईआर प्रदर्श पी 02 है। दौराने अनुसंधान प्रार्थिया व गवाहान के बयान उनके कहेनुसार लेखबद्ध किये गये। प्रार्थिया द्वारा अभियुक्त ने मारपीट की व दुसरी शादी करने के संबंध में रिपोर्ट प्रदर्श पी 03 पुलिस अधिक्षक को पेश की थी। मेडिकल नहीं कराने बाबत् प्रार्थिया ने रिपोर्ट दी थी जो प्रदर्श पी 04 है, जिन सभी पर उसके हस्ताक्षर है। संपुर्ण अनुसंधान से अभियुक्त के विरूद्ध धारा 498ए आईपीसी का अपराध प्रमाणित पाये जाने से उसके द्वारा चार्जशीट कताकर चालान न्यायालय में पेश किया गया।

प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कथन किया है की रिपोर्ट प्रार्थिया ने कसी से लिखवा कर लायी थी। यह कहना सही है कि पूजा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 के मख्य पृष्ठ पर उसके हस्ताक्षर नहीं है। यह कहना गलत है कि उसके अनुसंधान में यह तथ्य आया हो कि पूजा स्वयं हरीश व उसके घर वालों से लडाई झगडा करती हो और उन्हें परेशान करती हो। यह कहना गलत है कि पूजा का पवन नाम के लडके के सथ संबंध हो और इसी बात को लेकर पूजा और हरीश के बीच में विवाद हो। यह कहना गलत है कि इसी विवाद के कारण पूजा हरीश से अलग रह रही हो और दहेज की मांग की कोई बात नहीं हुई हो। यह कहना सही है कि उसके द्वारा जो बयान लिये गये वे हरीश के एकदम पडोसी नहीं है किंतु उन्हीं के आस पास के लोग है। यह कहना गलत है कि उसके द्वारा गलत अनुसंधान कर मुल्जिम को झुठा फंसाया जा रहा हो।

14– उपरोक्त समस्त साक्ष्य का समग्र रूप से विवेचन विश्लेषण करे तो हस्तगत प्रकरण परिवादिया पूजा के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 पर संस्थित हुआ है। उक्त प्रदर्श पी 01 का

अवलोकन करे तो उसमें परिवादिया ने मुख्य रूप से यह तथ्य वर्णित किया है कि उसका विवाह अभियुक्त हरीश के साथ संपन्न हुआ था और कुछ माह उसे अच्छा रखने के पश्चात उसे दहेज के लिये परेशान कर आये दिन शराब पीकर उसके साथ मारपीट की जाती तथा उसे पढाई छोडने के लिये दबाव बनाया जाता और मना करने पर अभियुक्त के द्वारा उसे उसके पीहर से दहेज लाने पर ही उसे अपने साथ रखने का कथन किया गया। आगे परिवाद में यह तथ्य भी वर्णित किया गया कि उसके द्वारा दहेज की मांग पूरी नहीं करने पर उसके साथ मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया गया और उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित कर क्रुरता कारित की गई। उपरोक्त परिवाद की पुष्टी हेतु परिवादिया पूजा ने स्वयं को पी.ड. 01 के रूप में परीक्षित करवाया है। परिवादिया ने अपने मुख्य परीक्षण में तो अभियुक्त हरीश के द्वारा दारू पीकर उसके साथ मारपीट करने, उसे पढाई से रोकने और दहेज में रूपयों की मांग करने को लेकर मारपीट किये जाने का कथन किया है, इस संबंध में अधिवक्ता अभियुक्त का यह तर्क रहा है कि अभियुक्त के द्वारा कभी भी परिवादिया को पढाई करने से नहीं रोका गया है और कभी भी उसके साथ कोई मारपीट नहीं की है और दोनों पति पत्नी के मध्य पवन नाम के लडके को लेकर विवाद है। जिस कारण परिवादिया ने यह रिपोर्ट दी है। उपरोक्त तर्कों के परीप्रेक्ष्य में अभियुक्त के द्वारा परिवादिया से किये गये प्रतिपरीक्षण को अवलोकन करे तो परिवादिया ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने अपने ससुराल रहने के दौरान मारपीट के संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं दी थी। गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि उसके ससुराल रहने के दौरान ही नर्सिंग कोर्स के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की परिक्षायें दी थी। साथ ही गवाह को जब प्रदर्श डी 01 फोटो दिखाकर प्रशन पुछा गया तो गवाह ने यह स्वीकार किया कि उक्त फोटो में उसके साथ पवन है। यद्यपि गवाह ने पवन को अपने भाई होना बताया है किंतु पवन के पिता का नाम उसे नहीं पता होना बताया है। न्यायालय के समक्ष यह तथ्य भी प्रकट किया गया है कि पवन ने उक्त फोटो को खिंचकर उसके पति हरीश को व्हाट्स एप कर दिया था और इस फोटो को लेकर ही उसके पति हरीश व पवन के बीच में लडाई झगडा भी हुआ था तथा उसके व उसके पति के बीच में मुख्य विवाद पवन के द्वारा यह खिंची गई फोटो ही है। उपरोक्त समस्त तथ्यों से न्यायालय के समक्ष यह तथ्य प्रकट होता है कि परिवादिया का किसी अन्य व्यक्ति के साथ फोटो खिंचवा कर उक्त फोटो अन्य व्यक्ति द्वारा उसके पति को भेजने पर हुए लडाई झगडे का विवाद है। यद्यपि परिवादिया ने उक्त व्यक्ति को अपना भाई होना बताया है किंतु परिवादिया के द्वारा उक्त व्यक्ति पवन के पिता का नाम उसे नहीं मालुम होना ही अपने आप में संदेह उत्पन्न करता है। गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि फोटो प्रदर्श डी 01 को लेकर उसके व उसके परिवार व उसके ससुराल वालों के बीच में भी बवाल हुआ था। इसी क्रम में पीडिता पूजा के पिता देवीलाल ने यह भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श डी 01 फोटो में उसकी लडकी के साथ रमेश का लडका पवन है। ऐसे में परिवादिया पूजा एवं उसके पति के मध्य, पूजा का किसी अन्य व्यक्ति के साथ फोटो वायरल होने के संबंध में विवाद होना प्रकट होता है, जो भी इस तथ्य की ओर इंगित करता है कि प्रकरण में दोनों पक्षों के मध्य उक्त फोटो को लेकर ही मुख्य विवाद है और जिसके आधार पर यह रिपोर्ट बढा–चढाकर किया जाना प्रकट होता है। साथ ही यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि यदि अभियुक्त के द्वारा पीडिता को आगे पढाई किये जाने से रोका जाता तो पिडिता के द्वारा अपने ससुराल में रहकर नर्सिंग कोर्स की प्रथम व द्वितीय वर्ष की परीक्षा दिया जाना भी संभव नहीं होता। इसी प्रकार प्रकरण में परीक्षित पीडिता पूजा के पिता देवीलाल ने भी अपने बयानों में यह स्पष्ट किया है कि उसकी लडकी ने ससुराल में रहते हुए ही नर्सिंग की पढाई की है, यद्यपि गवाह ने यह कथन किया है कि उसके ससुराल वालों ने नर्सिंग की फिस जमा नहीं करवाई थी और सालाना फिस उसके द्वारा जमा करवाई गई थी किंतु अभियोजन की ओर से ऐसी कोई रसीद पेश कर प्रदर्शित नहीं करवाई गई है जिससे यह प्रकट हो कि पीडिता की नर्सिंग कोर्स की सालाना फिस उसके पिता के द्वारा जमा करवाई गई हो जबकि गवाह ने एडमीशन के समय 15,000/–रु एवं 20,000/–रु पीडिता के ससुराल वालों के द्वारा ही जमा करवाये जाने का तथ्य स्वीकार किया है। उपरोक्त साक्ष्य से परिवादिया को नर्सिंग की पढाई करने से रोका जा रहा हो, ऐसा भी प्रमाणित होना नहीं पाया जाता है।

15– जहाँ तक दहेज़ की मांग को लेकर मारपीट कर प्रताड़ित किये जाने का प्रश्न है तो इस संबंध में यह उल्लेखनीय है की उपरोक्त दोनों ही गवाहान ने अपने–अपने बयानों में यह स्पष्ट नहीं किया है कि अभियुक्त ने दहेज की मांग कब की? और न ही उसने कोई निश्चित तारीख अपने परिवाद में अंकित की है। उक्त दोनों ही गवाह ने किसी भी घटना के कोई तारीख नहीं बताई है न ही कोई विशिष्ट घटना का

कोई उल्लेख किया है। इसके अतिरिक्त प्रकरण में परीक्षित अन्य साक्षीगण पी.ड. 03 उदयराम व पी.ड. 04 हजारीलाल उर्फ हरलाल, जो पीडिता के ही रिश्तेदार है, उन्होंने भी अपने–अपने बयानों में दहेज की मांग कब व कौनसी तारीख को की या दहेज में कितने रूपयों की मांग की इस संबंध में कोई कथन नहीं किया है और यह स्पष्ट किया है कि पूजा और उसके ससुराल वालों के बीच केवल पढाई को लेकर विवाद है और इसी कारण दोनों पति पत्नी के बीच में मन–मुटाव है। दोनों ही गवाहों ने उनके सामने किसी प्रकार की कोई मारपीट किये जाने का कोई कथन नहीं किया है। प्रकरण में परीक्षित अन्य साक्षीगण पी.ड. 06 हजारीलाल व पी.ड. 07 गोपाल पूर्णतया पक्षद्रोही हुए हैं जिन्होंने अभियोजन कहानी का लेश मात्र भी समर्थ नहीं किया है और घटना की किसी प्रकार से कोई ताईद नहीं की है। इस प्रकार परीक्षित समस्त साक्षीगण ने अभियुक्त के द्वारा परिवादिया से दहेज की मांग कब की उसकी कोई निश्चित तारीख अथवा घटना का कोई उल्लेख अपने बयानों में नहीं किया है। इस संबंध में विधिक स्थिति देखे तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने नवीनतम् न्यायिक निर्णय **Rajesh Chaddha v. State of Uttar Pradesh, 2025 SCC OnLine SC 1094** में यह प्रतिपादित किया है कि :–

8. At the outset, an act of 'cruelty' for the purpose of Section 498A, corresponds to a willful conduct of such nature, that may cause danger to the life, limb and health of the woman, which is inclusive of the mental and physical health and the harassment caused to her, by coercing her to meet unlawful demands or impossible standards. Further, the demand for dowry in terms of Section 3 and Section 4 of the D.P. Act, 1961 refers to both a direct or indirect manner of demand for dowry made by the husband or his family members. In order to meet the threshold of the offences under Section 498A IPC & Sections 3 & 4 of the D.P. Act, 1961, the allegations cannot be ambiguous or made in thin air.

9. In the present case, the allegations made by the Complainant are vague, omnibus and bereft of any material particulars to substantiate this threshold. Apart from claiming that Appellant husband harassed her for want of dowry, the Complainant has not given any specific details or described any particular instance of harassment.

14. The term "cruelty" is subject to rather cruel misuse by the parties, and cannot be established simpliciter without specific instances, to say the least. The tendency of roping these sections, without mentioning any specific dates, time or incident, weakens the case of the prosecutions, and casts serious suspicion on the viability of the version of a Complainant. We cannot ignore the missing specifics in a criminal complaint, which is the premise of invoking criminal machinery of the State.

उक्त न्यायिक निर्णयन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि प्रार्थी पक्ष द्वारा मात्र दहेज की मांग कर प्रताडित किये जाने के कथन करना ही दोषसिद्धि हेतु पर्याप्त नहीं होता है तथा प्रार्थी पक्ष को घटना की विशिष्ट तारीख व विवरण दिया जाना आवश्यक होता है। हस्तगत प्रकरण में भी प्रार्थीया व उसके परिवारजन ने किसी प्रकार की घटना का कोई विशिष्ट विवरण नही बताया है तथा यह भी स्पष्ट नहीं किया है की अभियुक्त के द्वारा उनसे दहेज़ में कितने रूपए की मांग की गयी थी। प्रार्थीया व उसके परिवारजन ने अस्पष्ट तौर पर मात्र दहेज की मांग को लेकर मारपीट करना बताया है जिससे अभियोजन कहानी को कोई समर्थन प्राप्त नहीं होता है।

16– इस प्रकार सर्वप्रथम स्वयं परिवादिया पूजा के द्वारा न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि अभियुक्त के द्वारा उसके साथ दहेज की मांग कब कर उसे घर से निकाला गया बल्कि, परिवादिया की साक्ष्य से यह स्पष्ट हुआ है कि दोनों पक्षों के मध्य उसका किसी अन्य व्यक्ति के साथ फोटो खिंचवाने पर उस व्यक्ति के द्वारा उक्त फोटो उसके पति को भेजने को लेकर दोनों पति–पत्नी के मध्य विवाद और मन–मुटाव हुआ और इसी विवाद के आधार पर यह प्रकरण दर्ज करवाया जाना प्रकट होता है। प्रकरण में परीक्षित अन्य गवाहों ने भी घटना की ताईद नहीं करते हुए अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि प्रकरण में अभियोजन पक्ष को आरोपित

अपराध संदेह से परे प्रमाणित करना होता है। हस्तगत प्रकरण में परीक्षित समस्त साक्ष्य के समग्र रूप से विवेचन विश्लेषण से अभियोजन पक्ष अभियुक्त हरीश के विरूद्ध युक्ति–युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रही है कि अभियुक्त द्वारा परिवादिया पूजा के साथ विवाह पश्चात दहेज में रूपयों की मांग को लेकर व शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित कर उसके साथ क्रुरतापूर्ण व्यवहार किया गया हो। उपरोक्त विवेचनानुसार यह न्यायालय अभियुक्त को अपराध अन्तर्गत धारा **498ए आई.पी.सी** में संदेह का लाभ देकर **दोषमुक्त** घोषित किया जाना न्यायोचित पाता है।

आदेश

17– अतः अभियुक्त **हरीश पिता बाबुलाल**, उम्र–23 वर्ष, निवासी–चोकडी, पुलिस थाना–धमोतर, जिला–प्रतापगढ़ (राज.) को अपराध अंतर्गत धारा 498ए भा.दं.सं. के आरोप से संदेह का लाभ देकर **दोषमुक्त** घोषित किया जाता है।

18– अभियुक्त के अन्वीक्षाकालीन प्रस्तुत जमानत–मुचलके नियमानुसार निरस्त किये जाते हैं।

19– प्रकरण में अपील होने की स्थिति में अभियुक्त की अपीलीय न्यायालय में नियमित उपस्थिति बाबत् अभियुक्त को धारा 481 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत् राशि 10,000/– रूपये के जमानत–मुचलके पेश कर तस्दीक कराने के आदेश दिये जाते हैं। अपील नहीं होने की स्थिति में उक्त जमानत–मुचलके 06 माह की अवधि के पश्चात् स्वतः निरस्त समझे जावें।

(अंकित सिंघल)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
प्रतापगढ़(राज.)

20– निर्णय आज दिनांक 12.03.2026 को उसके द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षरित कर विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

Digitally signed by ROHIT SHARMA
Date: 2026.03.13 13:00:27 +0530

(अंकित सिंघल)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
प्रतापगढ़(राज.)